संख्या:81/2022/1495/12-2-2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 17 अक्टूबर, 2022

विषय: प्रदेश में माह अक्टूबर में अतिवृष्टि के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए लागू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में खरीफ एवं रबी में प्रमुख फसलों को अधिसूचित किया गया है। अक्टूबर माह में खरीफ की अधिकांश फसलें पकने की स्थिति में होती हैं और कुछ फसलों यथा मक्का व बाजरा की कटाई भी प्रारम्भ हो गयी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वर्षा से फसलों को क्षति होने की सम्भावना अधिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनन्तर्गत यदि फसलों की क्षति दैवीय आपदा के कारण होती है तो वर्तमान स्थिति में निम्न परिस्थितियॉ बीमा से कवर हैं:-

(1) मध्यावस्था क्षति- क्षेत्रीय आधार पर (फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक)
(2) स्थानीय आपदा के विरूद्ध- व्यक्तिगत आधार पर।
(3) फसल कटाई के उपरान्त- व्यक्तिगत आधार पर।
(4) क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर आंकलित उत्पादकता के आधार पर।

(1) **मध्यावस्था क्षति** -(फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक)

फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की अनुमानित उपज में सामान्य उपज की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की स्थिति में।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(क) जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल में क्षति की सूचना 03 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय को लिखित रूप से दी जायेगी।

(ख) सूचना प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायत, जिसमें फसल की आपदा से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की सम्भावना हो, के सम्बन्ध में सूचना लिखित रूप से बीमा कम्पनी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ग) जनपद स्तर पर राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की गठित टीम द्वारा आपदा के 15 दिन के भीतर संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए क्षति का आंकलन किया जायेगा एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट बीमा कम्पनी को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) बीमा कम्पनी द्वारा फसल की क्षति की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अन्दर ग्राम पंचायत में प्रभावित फसल के बीमित कृषकों को निम्नानुसार तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी:-

$$\text{तात्कालिक सहायता} = \frac{\text{(गारण्टीडउपज-अनुमानित उपज)}}{\text{गारण्टीड उपज}} \times \text{बीमित राशि} \times 25 \text{ प्रतिशत}$$

(ड.) बीमा कम्पनी द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

(2) स्थानीय आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में-

ओलावृष्टि, जल-भराव (फसल धान को छोड़कर), भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से फसल की क्षति को व्यक्तिगत आधार पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है:-

(क) कृषकों को आपदा के 72 घन्टे के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(ख) यह सूचना कृषक द्वारा स्वयं या बीमा कम्पनी के संयुक्त टोल-फ्री नम्बर-1800-889-6868 या संबंधित बैंक शाखा जहॉ से बीमा कराया गया है या जनपद के कृषि व राजस्व विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के किसी भी स्तर के अधिकारी या ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) क्रॉप इन्श्योरेंस एप्प (मोबाइल एप्प) प्ले-स्टोर से डाउन-लोड किया जा सकता है, जिसके माध्यम से फसल की क्षति की सूचना व्यक्तिगत रूप से दी जा सकती है।

(घ) कृषकों द्वारा व्यक्तिगत दावे में अपनी ग्राम पंचायत, प्रभावित खेत का खसरा नम्बर, फसल व प्रभावित क्षेत्र का विवरण देना अपेक्षित है।

(ड.) बीमा कम्पनी, टोल-फ्री नम्बर-1800-889-6868 व क्रॉप इन्श्योरेंस एप्प के माध्यम के अतिरिक्त अन्य माध्यम से दी गयी सूचना को सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा बीमा कम्पनी को अगले 48 घन्टे में सूचना प्रेषित करनी होगी।

(च) बीमा कम्पनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के अगले 48 घन्टे के अन्दर सर्वेयर की नियुक्ति की जायेगी। अगले 10 कार्य दिवस के अन्दर सर्वेयर, जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नामित राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारी व संबंधित कृषक की उपस्थिति में क्षति का आंकलन बीमित कृषक के खेत स्तर पर फसल की घटना के समय तक उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप किया जायेगा।

(छ) बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण के 15 दिवस के अन्दर आपदा की स्थिति तक फसल की उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) फसल कटाई के उपरान्त व्यक्तिगत आधार पर फसलों की क्षति की स्थिति में-

फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बैमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

(4) फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आंकड़े के आधार पर-

इसके अन्तर्गत प्रत्येक इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसलवार गारण्टीज उत्पादकता का निर्धारण नियमानुसार फसल विशेष मौसम के शुरूआत में ही किया जाता है। यदि वर्तमान में फसल की उत्पादकता निर्धारित गारण्टीड उत्पादकता से एक ग्राम भी कम पायी जाती है तो गारण्टीड उत्पादकता के सापेक्ष कमी के प्रतिशत का आंकलन करते हुए उसका बीमित राशि से गुणा करने पर जो धनराशि प्राप्त होती है, उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिसूचित ग्राम पंचायत के समस्त बीमित कृषकों को उनके खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि जनपदों में विभिन्न फसलों पर क्रॉप कटिंग प्रयोग CCE agri app

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित कराये जायें और आप द्वारा स्वयं एवं जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण मौके पर किया जाए।

अत: आपसे अनुरोध है कि वर्तमान विपरीत मौसमीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिसूचना में निहित प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें, जिससे कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:81/2022/1495/12-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं सइ0ई0ओ0 (पीएमएफबीवाई), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उप कृषि निदेशक (नोडल अधिकारी), उत्तर प्रदेश।
6. प्रदेश के जनपदों में क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्यरत समस्त बीमा कम्पनियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने से संबंधित जनपदों में बीमा से आच्छादित आपदाओं को बीमा में कवर किए जाने के दृष्टिगत निर्धारित समयान्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षण एवं क्षतिपूर्ति की अदायगी सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in